



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं. 6, एवरेस्ट कॉलोनी, एपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर।
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

द्वारा - ईमेल।
अत्यावश्यक।

दिनांक: 27/01/2021

क्रमांक: पैरामेडिकल.कौ / परीक्षा-कंडक्ट / 2021 / 45

प्रधानाचार्य,


समस्त सम्बद्ध पैरामेडिकल कॉलेज / संस्थान,
राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल,
जयपुर, राजस्थान।

विषय:- द्वितीय वर्ष मुख्य सैद्धान्तिक परीक्षा सत्र 2017-18 के साथ द्वितीय वर्ष रिमाण्डेड/पूरक परीक्षा सत्र 2015-16 एवं 2016-17 - अक्टूबर, 2020 के डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियेटर टैक्नोलॉजी एवं डिप्लोमा इन ई.सी.जी. टैक्नोलॉजी के अभ्यर्थियों की 45 दिवस की हॉस्पिटल इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर के सम्बद्ध पैरामेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि वे डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियेटर टैक्नोलॉजी एवं डिप्लोमा इन ई.सी.जी. टैक्नोलॉजी सत्र 2017-18 द्वितीय वर्ष के समस्त अभ्यर्थियों एवं सत्र 2015-16, 2016-17 द्वितीय वर्ष (प्रथम अटैम्ट) के अभ्यर्थियों को दिनांक 01.02.2021 से 45 दिवस की हॉस्पिटल इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग करने हेतु अवगत करावें तथा इस पत्र को कॉलेज के "सूचना पट्ट" पर भी चस्पा करें।

आन्तरिक अंक अपलोड करने हेतु सूचना कॉलेज/संस्थानों को उक्त अवधि पश्चात् पत्र के माध्यम से दी जायेगी जिसमें हॉस्पिटल इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग के आन्तरिक अंक, अन्य आन्तरिक अंकों के साथ कॉलेज पोर्टल पर आप द्वारा अपलोड कराये जावेंगे। अभ्यर्थियों का इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेन्टर का डिटेल्, द्वारा ई-मेल परीक्षा नियंत्रक को भेजें।

उक्त हॉस्पिटल इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग समय पर न होने के कारण, परीक्षा परिणाम में होने वाले विलम्ब के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।


(उत्तम सिंह शेखावत)

आर.ए.एस.


रजिस्ट्रार

दिनांक:

क्रमांक: पैरामेडिकल.कौ / परीक्षा-कंडक्ट / 2021 /

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
2. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर को सूचनार्थ।
3. सलाहकार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर को सूचनार्थ।
4. प्रभारी सर्वर रूम (राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल) को प्रेषित कर लेख है कि वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करावें।
5. निजी एवं रक्षित पत्रावली।


रजिस्ट्रार